<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264184 CG-DL-E-27062025-264184

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2797]

No. 2797]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/आषाढ़ 4, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASHADHA 4, 1947

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना

> > नई दिल्ली, 25 जून, 2025

विषयः आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत शामिल विशिष्ट मदों की आयात नीति में संशोधन के लिए दिनांक 17.06.2025 की अधिसूचना संख्या 18/2025—26 हेतु शुद्धिपत्र।

का.आ. 2863(अ) .—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 18 / 2025—26 दिनांक 17.06.2025 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन किया गया है (िकए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं):

4186 GI/2025 (1)

आइटीसी	मद विवरण	1 (3	तिगत संशोधित आयात नीतिगत शर्त
(एचएस)		शर्त	
कोड			
71104100	और रुथेनियम :	प्रतिशत (1%) से अ सोने वाले इरिडियम धातु का आयात प्रतिब	र 1 तथापि, वजन के अनुसार 1 प्रतिशत धिक (1%) से अधिक सोने वाले इरिडियम मिश्र मिश्र धातु, <b>ऑरिमयम मिश्र धातु और</b> धित <b>रुथेनियम मिश्र धातु</b> का आयात
71104900		प्रतिशत (1%) से अ सोने वाले इरिडियम	प्रतिबंधित है। र 1 तथापि, वजन के अनसार 1 प्रतिशत धिक (1%) से अधिक सोने वाले इरिडियम मिश्र मिश्र धातु, <b>ऑरिमयम मिश्र धातु और</b> धित <b>रुथेनियम मिश्र धातु</b> का आयात प्रतिबंधित है।

[फा.सं.एम-01 / 89 / 180 / 93 / एएम-24 / पीसी-2(ए) / ई-42179]

अजय भादू महानिदेशक विदेश व्यापार अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2025

Subject: Corrigendum to Notification No. 18/2025-26 dated 17.06.2025 on amendment in Import Policy of specific items covered under Chapter 71 of ITC (HS) 2022 of Schedule –I (Import Policy) - reg.

- **S.O. 2863(E).** In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Notification No. 18/2025-26 dated 17.06.2025.
- 2. The Import Policy Condition of the following ITC (HS) codes is amended as under (changes made are in bold letters):

ITC(HS) Code	<b>1</b>	Existing Import Policy Condition	Revised Import Policy Condition
71104100	/	Iridium alloy consisting of	However, import of Iridium alloy, osmium alloy and ruthenium alloy consisting of gold more than

		(1%) by Restricted.	weight is		1 percent (1%) by weight is Restricted.
71104900	- Iridium, osmium	However, Iridium alloy	consisting of the consisting o	of of nt s	However, import of Iridium alloy, osmium alloy and ruthenium alloy consisting of gold more than 1 percent (1%) by weight is Restricted.

[F.No. 01/89/180/93/AM-24/PC-2(A)/E-42179] AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade &Addl. Secy.